# अनुदान संख्या 72 – योजना मंत्रालय
# GRANT No. 72–MINISTRY OF PLANNING

| | | | कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation | वास्तविक व्यय Actual expenditure | बचत- Saving– |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | (हजार रुपयों में) (In thousands of rupees) |
| **राजस्व:** | **Revenue:** | | | | |
| स्वीकृत- | Voted– | | | | |
| मूल | Original | 6446,88,00 | 6446,89,00 | 73,85,54 | –6373,03,46 |
| पूरक | Supplementary | 1,00 | | | |
| वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि | Amount surrendered during the year | | | | 6369,53,75 |
| **पूंजीगत:** | **Capital:** | | | | |
| *प्रभारित-* | *Charged–* | | *1861,00,00* | . . | *–1861,00,00* |
| *वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि* | *Amount surrendered during the year* | | | | *1861,00,00* |
| स्वीकृत- | Voted– | | 1823,00,00 | . . | –1823,00,00 |
| वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि | Amount surrendered during the year | | | | 1823,00,00 |

***टीका और टिप्पणियां***

1. अनुदान के राजस्व भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ :-

***Notes and comments***

1. In the revenue section of the grant, savings/ excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

| शीर्ष | Head | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| मुख्य शीर्ष "3451" सचिवालय - आर्थिक सेवाएं | Major Head "3451" Secretariat - Economic Services | | | | |
| मू. | O. | 9638.00 | 5469.25 | 5243.99 | –225.26 |
| पु. | R. | –4168.75 | | | |

| शीर्ष | Head | | | कुल अनुदान Total grant | वास्तविक व्यय Actual expenditure | बचत- Saving– |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | (लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees) |
| मुख्य शीर्ष "3475" अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं | Major Head "3475" Other General Economic Services | | | | | |
| मू. | O. | 425945.00 | | 1951.00 | 1827.48 | –123.52 |
| पु. | R. | –423994.00 | | | | |
| मुख्य शीर्ष "3601" राज्य सरकारों को सहायता अनुदान | Major Head "3601" Grants-in-aid to State Governments | | | | | |
| मू. | O. | 203905.00 | | 315.00 | 314.07 | –0.93 |
| पू. | S. | 1.00 | | | | |
| पु. | R. | –203591.00 | | | | |
| मुख्य शीर्ष "3602" संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान | Major Head "3602" Grants-in-aid to Union Territory Governments | | | | | |
| मू. | O. | 5200.00 | | . . | . . | . . |
| पु. | R. | –5200.00 | | | | |

(I) 631605.00 लाख रु. का प्रावधान चार शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा, जिसमें से 631600.00 लाख रु. निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:-

(का) मुख्य शीर्ष "3475" - "अन्य व्यय - नई/पुनर्गठित स्कीमों के लिए एकमुश्त प्रावधान - केंद्रीय योजना" - 422500.00 लाख रु.;

(खा) मुख्य शीर्ष "3601" - "राज्य योजना स्कीमों के लिए अनुदान - एकमुश्त अनुदान - नई/पुनर्गठित स्कीमों के लिए एकमुश्त प्रावधान - राज्य और संघ राज्य क्षेत्र की योजनाएं" - 203900.00 लाख रु.; और

(गा) मुख्य शीर्ष "3602" - "संघ राज्य क्षेत्र की योजना स्कीमों के लिए अनुदान - एकमुश्त अनुदान - नई/पुनर्गठित

(I) Provision of Rs.631605.00 lakhs remained wholly unutilised under four heads; of these Rs.631600.00 lakhs accounted for under the following major heads:-

(A) Major Head "3475"- "Other Expenditure-Lumpsum Provision for new/restructured schemes-Central Plan" - Rs.422500.00 lakhs;

(B) Major Head "3601" - "Grants for State Plan Schemes - Block Grants - Lumpsum Provision for new/restructured schemes - State and U.T. Plans" - Rs.203900.00 lakhs; and

(C) Major Head "3602" - "Grants for Union Territory Plan Schemes - Block Grants - Lumpsum

स्कीम के लिए एकमुश्त प्रावधान - राज्य और संघ राज्य क्षेत्र की योजनाएं'' - 5200.00 लाख रु.।

उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान संशोधित अनुमान चरण पर वित्त मंत्रालय के अधिकार में अन्य मंत्रालयों/विभागों को अंतरित किए जाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम के लिए योजना आयोग में निधियां रखे जाने के लिए निर्धारित समस्त बजट रखे जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(II) मुख्य शीर्ष ''3451'' - ''योजना आयोग/योजना बोर्ड'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) ''कार्यालय प्रणालियों का आधुनिकीकरण'' - 3576.06 लाख रु. की बचत (6000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) प्रत्याशित खरीदों/अधिप्राप्तियों को अंतिम रूप न दिए जाने और योजना आयोग में नवीनीकरण कार्य के लिए केंद्रीय लोक निर्माण विभाग को स्वीकृत निधियों का उपयोग न होने के कारण हुई।

(खा) ''राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग'' - 809.70 लाख रु. की बचत (900.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्य को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को अंतरित कर दिए जाने की वजह से फील्ड दौरों को स्थगित किए जाने और विदेशी दौरों के मूर्तरूप न लेने के कारण हुई।

(III) मुख्य शीर्ष ''3475'' - ''अन्य व्यय'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) ''सरकार को जनशक्ति अनुसंधान सेवाएं इत्यादि'' - 684.86 लाख रु. की बचत (1095.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अध्ययन प्रस्तावों के प्राप्त न होने के कारण हुई।

(खा) ''योजना प्रक्रिया के लिए विशेषज्ञता'' - 160.78 लाख रु. की बचत (200.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) दसवीं पंचवर्षीय योजना के मध्यावधि मूल्यांकन से संबंधित परामर्शदाता समूहों का विघटन किए जाने के कारण हुई।

(गा) ''योजना के लिए 50वें वर्ष की शुरुआत'' - 883.82 लाख रु. की बचत (1150.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की

provision for new/restructured scheme - State and U.T. Plans" - Rs.5200.00 lakhs.

Provisions under the above three heads remained unutilised due to placing of entire budget meant for parking of funds in the Planning Commission for National Common Minimum Programme to be transferred to other Ministries/ Departments at the disposal of Ministry of Finance at revised estimates stage.

(II) Under Major Head "3451" – "Planning Commission/ Planning Board " - savings occurred under the following heads:-

(A) "Modernisation of Office Systems" - saving of Rs.3576.06 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.6000.00 lakhs) was due to non-finalisation of anticipated purchases/procurements and non-utilisation of funds sanctioned to Central Public Works Department for renovation work in Planning Commission.

(B) "National Commission on Population"- saving of Rs.809.70 lakhs ( against the sanctioned provision of Rs.900.00 lakhs) was due to postponement of field visits and non-materialisation of foreign visits owing to transfer of the work to Ministry of Health and Family Welfare.

(III) Under Major Head "3475" - "Other Expenditure" - savings occurred under the following heads:-

(A) "Manpower Research Services to Government etc." – saving of Rs.684.86 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1095.00 lakhs) was due to non-receipt of study proposals.

(B) "Expertise for Planning Process"- saving of Rs.160.78 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.200.00 lakhs) was due to dissolution of consultative groups for the Mid Term Appraisal of the 10th Five Year Plan.

(C) "50th Year Initiative for Planning" - saving of Rs.883.82 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1150.00 lakhs) was due to non-

तुलना में) मध्यावधि मूल्यांकन दस्तावेज और उसके मुद्रण को अंतिम रूप न दिए जाने, वित्तीय सहायता के लिए कम प्रस्ताव प्राप्त होने और प्रत्याशित स्कीमों को तैयार न किए जाने के कारण हुई।

2.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से ( 314.00 लाख रु.) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि मुख्य शीर्ष "3601" - "केंद्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान - सचिवालय - आर्थिक सेवाएं - योजना आयोग/योजना बोर्ड - गरीबी कम करने के लिए ग्रामीण विकेंद्रीकरण और भागीदारी आयोजना के लिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम सहायता" के अंतर्गत दिसम्बर, 2004 में 1.00 लाख रु. का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 313.07 लाख रु. था।

(II) बचतें मुख्य शीर्ष "3475" - "अन्य व्यय - राज्य मानव विकास प्रतिवेदन तैयार करने के लिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम से सहायता" के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं - 149.00 लाख रु. का अधिक व्यय (800.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम से सहायता प्राप्त परियोजना "मानव विकास के लिए राज्य योजनाओं का सुदृढ़ीकरण" से संबंधित कार्यकलापों में वृद्धि कर दिए जाने के कारण हुआ।

3. अनुदान के पूंजीगत भाग के *प्रभारित* अंश में, बचत निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुई:–

finalisation and printing of Mid Term Appraisal Document, receipt of less proposals for financial assistance and non-formulation of anticipated schemes.

2.(I) The above savings were partly (Rs.314.00 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of Rs.1.00 lakh in December, 2004 under Major Head "3601" - "Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes - Secretariat - Economic Services - Planning Commission/Planning Board - UNDP Assistance for Rural Decentralisation and Participatory Planning for Poverty Reduction". Actual excess, however, was Rs.313.07 lakhs.

(II) Savings were also offset by excess under Major Head "3475" - "Other Expenditure - Assistance from UNDP for Preparation of State Human Development Reports" - excess of Rs.149.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.800.00 lakhs) was due to upscaling of activities relating to United Nations Development Programme assisted project "Strengthening State Plans for Human Developments."

3. In the *charged* portion of the capital section of the grant, saving occurred under the following major head:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

| शीर्ष | Head | | कुल विनियोग Total appropriation | वास्तविक व्यय Actual expenditure | बचत- Saving– |
|---|---|---|---|---|---|
| मुख्य शीर्ष "7601" *राज्य सरकारों को कर्ज तथा अग्रिम (प्रभारित)* | Major Head "7601" *Loans and Advances to State Governments (Charged)* | | | | |
| *मू.* | *O.* | *186100.00* | .. | .. | .. |
| *पु.* | *R.* | *–186100.00* | | | |

(I) *186100.00 लाख रु.* का *विनियोग* मुख्य शीर्ष "7601"- *"राज्य योजना स्कीमों के लिए कर्ज - एकमुश्त कर्ज - नई/पुनर्गठित स्कीम के लिए एकमुश्त प्रावधान - राज्य और संघ राज्य क्षेत्र योजनाएं"* के अंतर्गत एक मामले में संशोधित अनुमान चरण पर वित्त मंत्रालय के अधिकार में अन्य मंत्रालयों/विभागों को अंतरित किए जाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम के लिए योजना आयोग में निधियां रखे जाने के लिए निर्धारित समस्त बजट रखे जाने, जिसे अंतत: अभ्यार्पित कर दिया गया था के कारण पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(I) *Appropriation* of *Rs.186100.00 lakhs* remained wholly unutilised in one case under Major Head "7601" – *"Loans for State Plan Schemes - Block Loans - Lumpsum Provision for new/restructured scheme-State and U.T.Plans"* - due to placing of entire budget meant for parking of funds in the Planning Commission for National Common Minimum Programme to be transferred to other Ministries/Departments at the disposal of Ministry of Finance at revised estimates stage and was eventually surrendered.

4. अनुदान के पूंजीगत भाग के स्वीकृत अंश में, बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

4. In the voted portion of the capital section of the grant, savings occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

| शीर्ष | Head | कुल अनुदान Total grant | | वास्तविक व्यय Actual expenditure | बचत- Saving– |
|---|---|---|---|---|---|
| मुख्य शीर्ष "5475" अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय | Major Head "5475" Capital Outlay on Other General Economic Services | | | | |
| मू. | O. | 177500.00 | .. | .. | .. |
| पु. | R. | –177500.00 | | | |
| मुख्य शीर्ष "7602" संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को कर्ज तथा अग्रिम | Major Head "7602" Loans and Advances to Union Territory Governments | | | | |
| मू. | O. | 4800.00 | .. | .. | .. |
| पु. | R. | –4800.00 | | | |

(I) 182300.00 लाख रु. का प्रावधान निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा:-

(I) Provision of Rs.182300.00 lakhs remained wholly unutilised under the following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष "5475" - "अन्य व्यय - नई/पुनर्गठित स्कीमों के लिए एकमुश्त प्रावधान - केंद्रीय योजना" - 177500.00 लाख रु.; और

(A) Major Head "5475" - "Other Expenditure-Lumpsum Provision for new/restructured schemes-Central Plan" - Rs.177500.00 lakhs; and

(खा) मुख्य शीर्ष ''7602'' - ''संघ राज्य क्षेत्र की योजना स्कीमों के लिए कर्ज - एकमुश्त कर्ज - नई/पुनर्गठित स्कीमों के लिए एकमुश्त प्रावधान - राज्य और संघ राज्य क्षेत्र योजनाएं'' - 4800.00 लाख रु.।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान संशोधित अनुमान चरण पर वित्त मंत्रालय के अधिकार में अन्य मंत्रालयों/विभागों को अंतरित किए जाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम के लिए योजना आयोग में निधियां रखे जाने के लिए निर्धारित समस्त बजट रखे जाने, जिसे अंतत: अभ्यर्पित कर दिया गया था के कारण अप्रयुक्त रहा।

(B) Major Head "7602" - "Loans for Union Territory Plan Schemes - Block Loans - Lumpsum Provision for new/restructured schemes - State and U.T.Plans" - Rs.4800.00 lakhs.

Provisions under the above two heads remained unutilised due to placing of entire budget meant for parking of funds in the Planning Commission for National Common Minimum Programme to be transferred to other Ministries/ Departments at the disposal of Ministry of Finance at revised estimates stage and were eventually surrendered.